कार्यवाही विवरण

.2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड रतनलाल, मतदाता परिचय पत्र रतनलाल, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र रतनलाल का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मालीराम है तथा मालीराम व मालाराम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कलां तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 116, 117, 241/130 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रतनलाल पुत्र मालाराम के बजाय रतनलाल पुत्र मालीराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh
Rajawat
Date: 2021.09.14 16:17:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner